न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. २०१९

निग. 3146-PBR/15

रा0पुनरीक्षण प्र0क्र0:-

प्रस्तुत दिनांक :-

1-श्रीमती खुर्शीदबी पति अब्दुल बाकिर आयु-65 वर्ष,निवासी-बुरहानपुर

2-श्रीमती नूरजहां बी पति फरीद खां आयु-60वर्ष,निवासी-गुडी तह.व जिला खंडवा

3-श्रीमती खातून बी पति शेख अकबर आयु-58 वर्ष,निवासी-खारकलां,तहसील खालवा,जिला खंडवा

--याचिकाकर्तागण/अनावेदकगण

-विरूद्ध-

1-खालिक पिता हनीफ खां,मुसलमान,निवासी-ग्राम बेनपुरा,तहसील खंडवा,जिला

--आवेदक/प्रत्यर्थी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

श्रीमान्

प्रत्यर्थी के द्वारा न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय खंडवा वृत्त जावर,के द्वारा रा0प्र0क्रमांक 35-अ/6 वर्ष-2010-11 में याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत अंतरिम आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0भू-रा0सं0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का निरस्त किये जाने संबंधी पारित आदेश दिनांक 6.04.2015 जिसकी जानकारी याचिकाकर्तागण को दिनांक 18.06.2015 को याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता श्री आसिफ खान द्वारा अन्य प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने पर हुयी,तब अविलंब आदेश की प्रमाणित प्रति हेतू दिनांक 10.07.2015 को आवेदन पेश किया,दिनांक 11.09.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही अविलंब यह पुर्नविलोकन याचिका निम्न आधारों पर पेश करते है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3146–पीबीआर/15 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–10–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राहयता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि उनके समक्ष दो वसीयतनामें प्रस्तुत हुए हैं, अतः उन्हैं प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में नायब तहसीलदार द्वारा इस आशय का निष्कर्ष निकालते हुए कि उन्हैं प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि वसीयतनामों की संक्षिप्त जांच करने का अधिकार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत नायब तहसीलदार को प्राप्त है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	